

प्रेषक,

मिथिलेश कुमार (मा०प्र०से०),
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,

वित्त विभाग/पथ निर्माण विभाग/स्वास्थ्य विभाग/ उर्जा विभाग/जल संसाधन विभाग/शिक्षा विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/उद्योग विभाग/सहकारिता विभाग/परिवहन विभाग/पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/भवन निर्माण विभाग/कृषि विभाग/कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/समाज कल्याण विभाग/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/लघु जल संसाधन विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग/खान एवं भूतत्व विभाग/खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग/पंचायती राज विभाग/पर्यटन विभाग/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

विषय : मांग सं०-04 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में निधि का आवंटन।

आदेश : 19,60,000/- (उन्नीस लाख साठ हजार) रू० संलग्न सूची के अनुसार सम्बन्धित विभागों को निधि के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-0001-मंत्रीगण-13 01-कार्यालय व्यय के उपबंधित राशि से होगा। जिसका विपत्र कोड सं० 04-2013008000001 है।

3. वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2419 वि०(2), दिनांक-05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के आलोक में आवंटन आदेश निर्गत किया जा रहा है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में अंकित किया जायगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है। सम्बन्धित विपत्र में आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख भी करना होगा कि इसके आधार पर सम्बन्धित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है। राशि का व्यय वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.98 में निहित निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.98 के अन्य सभी प्रावधानों का अनुपालन पूर्ववत् रहेगा।

5. यदि आवंटित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2020 तक अवश्य कर दिया जाय, अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

विश्वासभाजन,

27/5/19

(मिथिलेश कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०-10/2019..... 748 पटना-15, दिनांक- 27/5/19

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-संलग्न सूची।

27/5/19

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०-10/2019..... 748 पटना-15, दिनांक- 27/5/19


प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/विकास भवन, पटना/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को CFMS में ऑनलाईन करवाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को इस आवंटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/5/19

सरकार के संयुक्त सचिव

मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद्-800-अन्य व्यय-मंत्रिगण-13 01-कार्यालय व्यय के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि का विवरणी :-

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्तमान आवंटन की राशि (रु० में)
1.	वित्त	70,000/-
2.	पथ निर्माण	70,000/-
3.	स्वास्थ्य	70,000/-
4.	उर्जा	70,000/-
5.	जल संसाधन	70,000/-
6.	शिक्षा	70,000/-
7.	ग्रामीण विकास	70,000/-
8.	उद्योग	70,000/-
9.	सहकारिता	70,000/-
10.	परिवहन	70,000/-
11.	पशु एवं मत्स्य संसाधन	70,000/-
12.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	70,000/-
13.	नगर विकास एवं आवास	70,000/-
14.	भवन निर्माण	70,000/-
15.	कृषि	70,000/-
16.	कला, संस्कृति एवं युवा	70,000/-
17.	राजस्व एवं भूमि सुधार	70,000/-
18.	ग्रामीण कार्य	70,000/-
19.	समाज कल्याण	70,000/-
20.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	70,000/-
21.	अल्पसंख्यक कल्याण	70,000/-
22.	लघु जल संसाधन	70,000/-
23.	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	70,000/-
24.	खान एवं भूतत्व	70,000/-
25.	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	70,000/-
26.	पंचायती राज	70,000/-
27.	पर्यटन	70,000/-
28.	श्रम संसाधन	70,000/-
कुल योग		19,60,000/- (उन्नीस लाख साठ हजार रु०)


 (मिथिलेश कुमार)
 सरकार के संयुक्त सचिव
 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
 बिहार, पटना।